

27.5.24

पत्रावली पर हुई। वकील पक्षवार उपस्थित।
वकील उभयपक्ष ने दोनों पक्षों के मध्य
आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण
में कोई कार्यवाही नहीं चाहते
हुए प्रकरण को निस्तारित

करने का मत राजीनामा का
प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र
तस्वीक किया गया। वकील वादी

ने वादिया कि पहचान कि
वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादीजव

कि पहचान कि राजीनामा का
प्रार्थनापत्र तस्वीक किया गया।

उभयपक्ष कि और
से प्रस्तुत राजीनामा के प्रार्थनापत्र से
थह सिद्ध होता है कि प्रकरण में दोनों
पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है। तथा
प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

वकील
कि

उभय

उभय

प्रकार

2

अतः प्रार्थनापत्र शजीनामा के आक्षेप
पर कार्यवाही नहीं चाहने से वादिया
द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर होवे।



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा